केवल पर्यावरण को बनाए रखने से ही दूसरी हरित क्रांति आ सकती है

* ध्रुबाज्योति घोष

दूसरी हरित क्रांति के लिए किसी भी बहुकरोड़ कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए किसी प्रकार की बात–चीत करने से पहले प्रश्न प्रमुख रूप से पूछे जाने चाहिए। यह निर्णय किसने लिया कि देश को दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है ? किसने निर्णय लिया कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए ? यह अत्यंत संवेदनशील निर्णय है जिसमें हमारे देश के किसान शामिल होने चाहिए किन्तु इस निर्णय को लेने में कितने किसानों ने भाग लिया ? यह जानने के लिए कि सिस्टम कैसे कार्य करता है, यह कहना अनुचित नहीं होगा कि बहुत से किसानों को इस निर्णय के लिए विश्वास में नहीं लिया गया और यह निर्णय शुद्ध रूप से नौकरशाहों द्वारा लिया गया है।

इस विषय पर 2 और मौलिक प्रश्न उठते हैं। क्या हम यह मान लें कि भारतीय किसानों द्वारा खेती करने को एक आदर की निगाह से नहीं देखा जाता है ? निर्णय लेने की प्रक्रिया में कथित भागीदारी क्या केवल कोस्मेटिक उपयोग के लिए है ? फिर भी वास्तविकता यह है कि किसी अन्य देश में भागीदारी किसानों की इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि निर्णय लेने में भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में 70 प्रतिशत से अधिक लोग खेती पर निर्भर हैं। तो यह निर्णय किसने लिया ? यह कब लिया गया था ? यह निर्णय अचानक तो नहीं किया गया होगा। यह माना नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री ने माईक्रोफोन लिया और क्रांति का झण्डा फहरा दिया जिससे सब कुछ हरा हो जाएगा और यह एक रात में लिया गया निर्णय नहीं हो सकता। तो वास्तविक दृश्य क्या है ?

कृषि व्यवसाय भाईचारा

पूरे विश्व में कारोबार में असमानता ही है जिसके अन्तर्गत शक्तिशाली लोग अपने पक्ष में अधिक शर्तें मनवा लेते हैं। यह इतिहास उतना ही पुराना है जितनी की सभ्यता, किन्तु शक्तिशाली लोगों द्वारा अपनाई गई तकनीक से बेहतर शर्तें मनवा ली जाती हैं और यह कार्य युगों से चलता आ रहा है। ज्ञान और तकनीक में उत्कृष्ठता से यह कुशलता बढ़ी है कि धोखा कैसे दिया जाए और बड़े लोगों को प्रभावित करने के लिए कैसे वार्तालाप की जाए, उदाहरण के लिए, एक इथोपिया देश की माता अपनी सारी कमाई से अपने छोटे बच्चे के लिए एक पेप्सी की बोतल खरीदती है, वह यह मानती है कि वह अपने बच्चे को उत्तम पोषक वस्तु उपलब्ध करा रही है या अपने प्रदेश में शुद्ध जल का उत्तम वैकल्प प्रस्तुत कर रही है।

मानव जाति को धोखा देने के लिए कृषि रसायनिक और बीज उत्पादन नई ऊंचाईयों पर पहुंच चुका है जो कृषि व्यवसाय के कारोबार को प्रभावित करता है और किसानों के विरूद्ध है और उनकी वस्तुओं के लिए भी विरूद्ध है जैसे उनके भूखण्ड का टुकड़ा। मोनसेंतो, कार्गिल और इस प्रकार के अन्य शक्तिशाली लोगों सहित दूपोन्ट जिन्होंने विश्व कृषि को अपना चरागाह बना लिया है ताकि वे अधिक लाभ कमा सकें। ये लोग पूर्ण रूप से नौकरशाहों और संबंधित देशों के मंत्रालयों से अच्छी तरह मिलते हैं जहां भी उनकी आवश्यकता होती है उनसे मतलब निकाला जाता है विशेषकर अमेरीका में जहां पर वे बोली लगाकर अपना मतलब निकालते हैं। कृषि रासायनिक पूर्णाहुति विषय पर काफी अनुसंधान किया गया है किन्तु इस पर अधिक वार्तालाप करना उचित नहीं होगा।

भारत अमेरीका मित्रता

इतिहास में झांकना वांछनीय है और इससे स्थिति स्पष्ट हो सकती है। ब्रेट वालच ने अपनी पुस्तक 'लूजिंग एशियाः मोडर्नाईजेशन एण्ड कल्चर ऑफ डवलपमेंट' (वर्ष 1996 में जोहंज हापकिंस यूनिवर्सिटी प्रैस द्वारा प्रकाशित) में उल्लेख किया है कि एक फ्रेंक पारकर, एक दूपोंट वरिष्ठ अधिकारीगण जो भारत में अमेरीका के राजदूत के विदेशी आर्थिक सहायता सलाहकार के रूप में आए थे। पारकर के कहने पर भारत ने एक गहन कार्यक्रम आरंभ किया जिसमें रसायनिक उर्वरकों का लाभ बताया गया था। अमेरिका में प्रवेश करें और आप पाएंगे कि कथित दूसरी हरित क्रांति को बढ़ाने में यह कितना प्रभावशाली रहा।

यूनाईटिड नेशन ने वर्ष 2008 को विश्व खाद्य संकट वर्ष के रूप में घोषित किया था। विश्व खाद्य वस्तुओं के भाव 40 प्रतिशत से अधिक बढ़े। विश्व के बहुत से देशों में आहार के लिए दंगे हुए और बढ़े हुए मूल्यों पर प्रदर्शन भी किए गए। कई विश्लेषकों ने इसे कृषि में हरित क्रांति के असफल होने का परिणाम माना। किन्तु कुछ विश्लेषकों ने देखा कि यह एक ऐसा रास्ता है जिससे आनुवंशिक आशोधित फसलें (जीएमसीज) जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह **दोहरी हरित क्रांति** (माए–वान हो, 2008) की नई शुरूआत है। किन्तु भारतीय संदर्भ में भारत अमेरिका का वर्ष 2005 में कृषि में ज्ञान की शुरूआत को आशोधित करते हुए इसे 'भारत के लिए दूसरी हरित क्रांति' कहा गया।

इस ज्ञान की शुरूआत पर पश्चिम बंगाल राज्य कृषि आयोग (2009) की रिपोर्ट में इसे और कुछ नहीं कहा गया बल्कि अमेरीका की ट्रांसनैशनल निगम की एक सावधानी पूर्वक चुनी गई रणनीति माना गया ताकि भारत के खाद्य और कृषि क्षेत्र का नियंत्रण लिया जा सके। किसानों की सेवा करने और नैशनल कमीशन ओन फॉर्मर्स द्वारा तैयार कृषि नीति को बचाने के स्थान पर दूसरी हरित क्रांति को जीएमसी और रसायनिक आधारित औद्योगिक कृषि के रूप में माना गया जिसमें इतनी शक्ति थी कि किसानों के सामाजिक आर्थिक आधार को नष्ट कर दे और हमारी पारम्परिक कृषि पद्धति को बर्बाद कर दे।

पश्चिम बंगाल राज्य कृषि आयोग पर कार्य 15 जनवरी, 2007 को आरंभ हुआ था और मार्च, 2009 में इसे प्रस्तुत किया गया। इस कार्य में कुल 256 कृषि विशेषज्ञ, 16 विश्वविद्यालय, 5 स्वायत संस्थाएं, 5 किसानों के संघ, 5 गैर सरकारी संस्थाएं, 10 अनुसंधान संस्थाओं, सभी जिला मजिस्ट्रेट और राज्य के सभाधीपतिज ने सक्रिय रूप से भाग लिया और 750 पृष्ठ की रिपोर्ट तैयार की जिसमें पश्चिम बंगाल में कृषि के भविष्य का रोड़मैप तैयार किया गया। किन्तु मीडिया ने इस महत्वपूर्ण कार्य में बहुत कम रूचि दर्शाई।

इतिहास में कई सबक थे

हमारा देश ब्रेटवालाच का बहुत ऋणी है जिन्होंने अपनी पुस्तक में एक लेख लिखा और उसमें अल्बर्ट होवार्ड, पूर्व निदेशक और अत्यधिक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक को नियुक्त किया गया जो पहले के पूसा स्टाफ का कार्य देखते थे (पूसा भारत का प्रमुख और सबसे पुराने कृषि अनुसंधान संस्थाओं में से एक है)। अपनी अंतिम पुस्तक में जो 1943 में प्रकाशित हुई थी एक कृषि टेस्टामेंट, होवार्ड ने लिखा है कि 'प्राचीन समय की कृषि पद्धति ने सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है – ये उतने ही स्थाई हैं जितने कि आदिम जंगल, दी प्रेरी या सागर'। होवार्ड के अनुसार (जैसा वालच की पुस्तक में उल्लेख किया है) 'अपनाए गए नियम (आधुनिक कृषि में) पौध पौष्टिकता में पूर्ण गलत

धारणा पर आधारित हैं और मौलिक रूप से उचित नहीं हैं। यह भूमि की उर्वरता, माईक्रोहाजिल एसोसिएशन सहित – जिंदा फंगस, आदि का ध्यान नहीं रखता जो भूमि और रस को जोड़ते हैं। कृत्रिम उर्वरक से कृत्रिम पौष्टिकता, कृत्रिम आहार, कृत्रिम पशु और अंत में कृत्रिम आदमी और औरतें बनती हैं'।

होवार्ड ने भविष्यवाणी की कि 'औद्योगिक युग की सबसे बड़ी बेवकूफी रसायनिक उर्वरकों का उपयोग करना होगी। पौधों की बिमारियों का वास्तविक कारण कीड़े और फूंगी नहीं है बल्कि अकुशल ढंग से उगाई जाने वाली किस्मों या फसलों पर आक्रमण है', यह भी बाईलोजिकल पद्धति कम्पलैक्स के ब्रेक डाउन होने के कारण है जिसमें पौधे और पशु के सम्पर्क में भूमि भी शामिल हैं'। यह विज्ञान का इतिहास है जिसे भारतीय कृषि संस्थाओं की अनुसंधान योजनाओं में लगे रहना चाहिए।

कार्य को साधारण रूप से लेने से समस्या का समाधान नहीं होगा

15 अप्रैल, 2008 को कुछ असामान्य घटित हुआ। 58 देशों से 401 वैज्ञानिकों ने विश्व बैंक, एफएओ, यूएनईपी, जीईएफ, डब्ल्यूएचओ, यूनेसको, यूएण्डडीपी की अगुवाई में इक्ट्ठे कार्य किया ताकि कृषि ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी पर रिपोर्ट तैयार की जा सके। पूरे विश्व में इस रिपोर्ट को इण्टरनैशनल असेस्मेंट ऑफ एग्रीकल्चरल नोलिज, साईंस एण्ड टैक्नोलोजी फॉर डवलेपमेंट (आईएएकेएसटीडी/आईएएएसटीडी) के रूप में माना जाता है।

आईएएएसटीडी ने विश्व और क्षेत्रीय कृषि से प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंधित सभी मुद्दों पर वार्तालाप किया और गैर जिंस सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जिसके लिए ईको सिस्टम सेवाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। इस रिपोर्ट में विश्व कृषि उत्पादन में वृद्धि का उल्लेख किया गया और लाभ को बांटने के संबंध में और बढ़े हुए उत्पादन को ऊंचे सामाजिक और पर्यावरण लागतें प्राप्त करने के संबंध में भी उल्लेख किया गया। विश्व में कीड़ों की वजह से होने वाली मृत्यु का 2,20,000 वार्षिक का अनुमान है और 20 लाख और 50 लाख लोगों को कीड़ों से होने वाले जहर से प्रभावित होने के अनुमान है। आहार में विविधता की कमी और गलत प्रसंसाधन ही प्रमुख रूप से कुपोषण के जिम्मेदार हैं (जिसमें मोटापा और अत्यधिक पौष्टिकता शामिल हैं)।

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस रिपोर्ट में जीएमओ पर टिप्पणी की गई है और विशेषकर जीएम फसलों पर, जिसे यह विवादित मानता है। रिपोर्ट के अनुसार 'तकनीक का मूल्यांकन इसके विकास के पीछे है और सूचना मात्र चुटकला है तथा संभावित लाभ और अनिवार्य क्षति पर विवाद और अनिश्चितता है'। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि उन देशों में जीएमसीज उगाने पर प्रतिबंध लगाया जाए जिन देशों में इस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है ताकि अनिवार्य जैनेटिक मिलावट से बचा जा सके और कृषि के भविष्य के लिए अनिवार्य जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके।

संसदीय समिति द्वारा जीएम फसलों को अस्वीकार करना

31 सदस्यीय संसदीय समिति जिसके प्रमुख बासुदेव आचार्य थे, ने इस रिपोर्ट को पूरा करने में 2 वर्ष लिए जिसमें सिफारिश की गई कि सभी जीएम फसलों के लिए खेतों में किए जाने वाले ट्रायल को रोका जाए। इस रिपोर्ट में 50 वैज्ञानिक संस्थाओं, एकेडमीशिएशन्स, वैज्ञानिक और कृषि लेखकों के बयान शामिल हैं। पर्यावरण और वन मंत्री जयंती नटराजन ने आउटलुक (27 अगस्त, 2012) में उल्लेख करते हुए विश्वास दिलाया कि 'जब तक सुरक्षात्मक

उपाय नहीं किए जाते और रेगुलेटरी नहीं बनाई जाती तब तक विलंबन काल को समाप्त नहीं किया जाएगा'। यह आदेश वर्ष 2010 में तत्कालिक पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश द्वारा बीटी बैंगन बीजों की वाणिज्यिक वसूली पर लगाया गया था। यह युद्ध अभी तक चल रहा है। बीजों की कृत्रिम कमी उत्पन्न करते हुए बाजार में जीएम बीजों की आंतरिक प्रविष्टि के अवसर हैं। किसानों को अंजाने में ही जीएम बीजों की खरीदारी करनी होगी। यदि ऐसा हुआ तो इससे कृषि का बचा–खुचा भविष्य भी नष्ट हो जाएगा।

पहली हरित क्रांति में कृषि पैट्रोल और रसायन उद्योग पर निर्भर थी जबकि दूसरी हरित क्रांति प्रमुख रूप से बायोटैक और बीज फर्मों पर निर्भर होगी। ऐसा लगात है कि भारत – अमेरिका नॉलेज इनिशिएटिव ऑन एग्रिकल्चरल एजुकेशन, टीचिंग, रिसर्च, सर्विस एंड कमर्शियल लिंकेजिस (दूसरी हरित क्रांति के इमानदार संवर्धकों सहित) और इसके साथ ऊपर उल्लिखित संसदीय समिति के निर्णय के बीच अपरिहार्य मुकाबले की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है

कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्था (आई.डब्लू.एम.आई.) ने एक रिपोर्ट में कहा है कि पश्चिम बंगाल के जल जांच और संसाधन विकास विभाग पर योजना आयोग ने दबाव डाला है कि पांच हॉर्स पॉवर से नीचे के पंप सैटों से रेगुलेटरी का नियंत्रण समाप्त किया जाए क्योंकि किसानों को इन्हें लगाने के लिए किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं रहती। यह एक स्वागत योग्य कदम है कि पद्धति के अन्तर्गत आने वाली समस्याओं में कमी आई है। आईडब्ल्यूएमआई की सिफारिशें इस बात से प्रभावित हैं कि बैकअप अनुसंधान में एक तरफा कार्य हो रहा है जिससे नीति में परिवर्तन को सहायता मिलती है।

सर्वप्रथम भूजल के उपयोग के लिए तभी अनुमति दी जाए जल भूजल का स्तर मानसून के पश्चात उतना ही हो जाए जिसका पता राज्य जल जांच निदेशालय द्वारा लगाया जाएगा। कोई भी यह नहीं भूल सकता कि भूजल की स्थिति में अलग–अलग रिपोर्टें आ रही हैं। वर्ष 2009 में विश्व बैंक ने रिपोर्ट दी थी कि भारत में गौण सिंचाई परियोजना के लिए 2520 करोड़ रू० की निधि अस्वीकार कर दी थी। नासा सैटेलाईट की फोटों से भी यह पता चलता है कि भारत में भूजल तेजी से गिर रहा है। संबंधित अनुसंधान में फलौराईड प्रदूषण के बारे में उल्लेख नहीं किया गया जो लगातार बढ़ता जा रहा है। फलोरोसिस भारत में भूजल से संबंधित सबसे अधिक होने वाली बिमारी है जो इस देश को अत्यधिक प्रभावित करती है। 28 भारतीय राज्यों में से कुल 20 के भूजल में फलोराईड का मिश्रण पाया गया है। भारत में 201 जिलों की कुल जनसंख्या में से 411.1 मिलियन जनसंख्या फलोराईड की मिलावट से प्रभावित है।

भारत ने अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के 10 माईक्रोग्राम/1 के आरसैनिक कन्सनट्रेशन संबंधी दिशानिदेश की स्वीकार्य सीमा को मान लिया है। इस आधार पर 49.7 प्रतिशत गांव (चक्राबृति 2009) जोखिम पर होंगे जबकि आईडब्ल्यूएमआई रिपोर्ट में यह प्रतिशत 24.7 था। योजनाकर्ताओं को यह याद रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के 9 अत्यधिक आरसैनिक प्रभावित जिले वे जिले हैं जिन पर गहन से गहन कृषि की प्रैक्टिस की जाती है।

सिफारिश में इस बात पर चिंता प्रकट की गई है कि भूजल का उपयोग करते हुए बोरो धान उगाई जाए। यह सही है कि कृषि विभाग के पास बोरो सिंचाई को कम करने के क्षेत्र की नीति है और चावल से मक्का की बिजाई

का कार्य पहले ही किया जा रहा है। वास्तव में इस वर्ष सूखे की धारणा नहीं बनती यदि राज्य मक्का उगाने के बारे में सोचता। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार का मानसून मक्का उगाने के लिए उपयुक्त है।

यह आश्चर्यजनक है कि योजना आयोग और आईडब्ल्यूएमआई दोनों ने ही इस तथ्य को नकारा कि किसान बड़ी मात्रा में जल बर्बाद कर रहे हैं और सिंचाई के जल की क्षति कम करके और अधिक क्षेत्र की सिंचाई भी की जा सकती है। वर्ष 2000 में यह उल्लेख किया गया था कि भारत में 273 क्यूबिक किलोमीटर जल का उपयोग किया गया जबकि वास्तविक आवश्यकता केवल 151 क्यूबिक किलोमीटर की थी।

समस्त दुविधा में कुछ आशा की किरण भी है। पूर्वी भारत (असम, बिहार, झारखण्ड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए 400 करोड़ रू.) में हरित क्रांति लाने के लिए दिशा निदेशों का पहले के वर्णन में यह बल दिया गया था कि 1000 हैक्टेयर प्रदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाएं और इन परियोजनाओं में हाईब्रीड बीजों का उपयोग किया जाए। किन्तु कृषि अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने इन दिशा निदेशों पर वार्तालाप किया और सिफारिश किए गए दिशा निदेशों की व्यवहारिकता पर वाद–विवाद किया।

महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 1000 से इन भूखण्डों को कम करके 250 हैक्टेयर कर दिया गया। इस प्रकार खरीफ मौसम में हाईब्रीड बीजों की आपूर्ति नहीं होगी। प्रासंगिक–वश पश्चिम बंगाल राज्य जीएम बीजों के उपयोग की अनुमति नहीं दे रहा है। कोई भी किसान ऐसे बीजों का उपयोग नहीं करेगा जिनका वितरण से पहले परीक्षण न किया गया हो चाहे वे सत्यापित भी हों। इसके अतिरिक्त कीटनाशक या पौध संरक्षण रसायन आदि की आपूर्ति स्थानीय कृषि अधिकारियों की मांग के अनुसार ही की जाए। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि राज्य में कृषि प्रबंधन में ताजी हवा का झोंका आना आरंभ हो गया है।

इको सिस्टम के उत्सुक ऑब्जर्वर होने के नाते हर कोई जानता है कि इको सिस्टम प्रबंधन के मूल नियम कौन से होते हैं। यदि इको सिस्टम क्षतिग्रस्त होता है तो इसके कार्य और सेवाएं इस ढंग से उपलब्ध नहीं हो पाएंगी कि निरंतरता बनी रहे, अतः पहली अनिवार्यता सहजकर रखने की है। कोई भी पश्चिम बंगाल की उस कृषि इको पद्धति को कैसे रिस्टोर कर सकता है जो कृषि रसायनों के अत्यधिक उपयोग से नष्ट हो चुकी है। प्रारंभिक कार्यसूची यह होनी चाहिए कि केंचुओं के लोटने को सुनिश्चित किया जाए। इसके पश्चात मछली के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए जो धान के खेतों में पलती हैं और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण बच्चों के लिए निःशुल्क प्रोटीन भी उपलब्ध कराती हैं, ये सब पिछले कुछ दशकों में समाप्त हो चुका है क्योंकि कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग किया गया, इन सबकों पुनः उपयोग में लाया जाना चाहिए।

ग्रामीण जानते हैं कि धान के खेतों में मछली के गायब होने की घटना कितनी जटिल है और इसका संपर्क वहां के किसानों के बच्चों की बिगड़ती हुई सेहत से है, किंतु कोई भी अध्ययन या अनुसंधान इन दोनों का संपर्क नहीं जोड़ पाया है। यह हमें मुल्ला नसीरूद्दीन का किस्सा याद दिलाती है जिसे अपने आंगन में कुछ तलाशते हुए पाया गया। उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि क्या खोज रहे हो। उन्होंने कहा कि वे वह चाबी ढूँढ रहे हैं, जो उनके कमरे में खो गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई विस्मय की बात नहीं है। वे उस वस्तु को वहीं खोज सकते हैं जहां पर पर्याप्त रोशनी हो न कि अंधेरे कमरे में। मुल्ला नसीरूद्दीन हमारे देश में कृषि अनुसंधान की ड्राइविंग फोर्स को जानते थे।

धान के खेतों में केंचुए या मछली को लाना पर्यावरण बनाए रखने की दिशा में एक उत्कृष्ट कार्य होगा। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आरंभ में सरलतापूर्वक अपनाए जा सकते हैं। किसानों की सहायता करने के लिए रेस्टोरेशन को एक चुनौती के रूप में लेना होगा ताकि भारतीय कृषि की जीवंतता पुनः प्राप्त की जा सके। हम इसे ब्ल्यू – ग्रीन विकल्प कह सकते हैं ताकि नई प्रतिक्रिया की घोषणा की जा सके जैसा पश्चिम बंगाल कृषि संबंधी आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है। क्या पश्चिम बंगाल आगे की सोच सकता है और इन उपायों को अपना सकता है ?

क्या भारतीय किसानों द्वारा खेती करने को आदर की निगाह से नहीं देखा जाता? क्या कथित भागीदारी निर्णय करने की प्रक्रिया कॉस्मैटिक उपयोग के सिवाय कुछ नहीं है?

विश्व में कीटनाशक के उपयोग से अनुमान है कि 2,20,000 वार्षिक मृत्यु हो जाती हैं। लगभग 20 लाख और 50 लाख लोग प्रत्येक वर्ष कीटनाशकों के विष से प्रभावित होते हैं।

यह एक उचित कदम है कि कृषि विभाग ने एक नीति अपनाई है कि बोरो सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र को कम किया जाए और चावल से मक्का उगाने की प्रक्रिया पहले ही अपनाई जा रही है।

लेखक, कमीशन ऑन इको सिस्टम मैनेजमैंट, आईयूसीएन में युनाइटिड नेशन ग्लोबल 500 लॉरिएट एंड रिजनल चेयरमैन (दक्षिण एशिया) हैं।